CONTENTS

Sixteenth Series, Vol. XXXIV, Sixteenth Session, 2018-19/1940 (Saka)
No. 6, Tuesday, December 18, 2018/ Agrahayana 27, 1940 (Saka)

SUBJECT	PAGES
ORAL ANSWER TO QUESTION	
*Starred Question No. 101	13-23
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 102 to 120	24-103
Unstarred Question Nos. 1151 to 1380	104-713

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

RESIGNATION BY MEMBER 716

PAPERS LAID ON THE TABLE 718-734

COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS

118th to 123rd Reports 735-736

COMMITTEE ON PETITIONS

57th to 63rd Reports 737-738

COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE

25th to 33rd Reports 739

STANDING COMMITTEE ON LABOUR

43rd to 44th Reports 739

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 44th Report of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on Demands for Grants (2018-19) pertaining to the Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizer

Rao Inderjit Singh 740

(ii) (a) Status of implementation of the recommendations contained in the 211th Report of the Standing Committee on Home Affairs on 'The Cyclone Ockhi- its impact on Fishermen and Damage caused by it', pertaining to the Ministry of Home Affairs 740-741

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 206th Report of the Standing Committee on Home Affairs on Action Taken by the Government on the recommendations contained in 201st Report of the Committee on Demands for Grants (2017-18), pertaining to the Ministry of Home Affairs 741

(c) Status of implementation of the recommendations contained in the 209th Report of the Standing Committee on Home Affairs on Demands for Grants (2018-19) pertaining to the Ministry of Home Affairs 741

(d) Status of implementation of the recommendations contained in the 213th Report of the Standing Committee on Home Affairs on 'Security Situation in the North Eastern States of India', pertaining to the Ministry of Home Affairs

Shri Kiren Rijiju 742

(iii)(a) Status of implementation of the recommendations contained in the 45th Report of the Standing Committee on Agriculture on 'Implementation of Scheme for Integrated Cold Chain and Value Addition Infrastructures' pertaining to the Ministry of Food Processing Industries 742

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 50th Report of the Standing Committee on Agriculture on Demands for Grants (2018-19) pertaining to the Ministry of Food Processing Industries

Sadhvi Niranjan Jyoti 743

(iv) Status of implementation of the recommendations contained in the 49th Report of the Standing Committee on Agriculture on Demands for Grants (2018- 19) pertaining to the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries (DADF), Ministry of Agriculture and Farmers Welfare

Shrimati Krishna Raj 743

NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN (AMENDMENT) BILL, 2018 744

MATTERS UNDER RULE 377

(i) Regarding completion of Chikamagalur - Sakleshpur railway line

Kumari Shobha Karandlaje 746

(ii) Need to declare 3rd December, the birthday of Dr. Rajendra Prasad, the first President of the country as National Holiday

Shri Janardan Singh Sigriwal 747

(iii) Need to increase BSNL mobile towers in Narmada and Bharuch districts of Gujarat

Shri Mansukhbhai Dhanjibhai Vasava 748

(iv) Regarding healthcare issues of tribals

Dr. Kirit P. Solanki 749

(v) Regarding electrification of villages under Muzaffarpur Parliamentary Constituency, Bihar

Shri Ajay Nishad 750

(vi) Regarding e-auction of coal by CCL and BCCL in Giridih Parliamentary Constituency, Jharkhand

Shri Ravindra Kumar Pandey 751

(vii) Regarding priority to children of West Pakistan Refugees residing in Jammu and Kashmir in recruitment and Prime Minister Scholarship Scheme

Shri Jugal Kishore 752

(viii) Need to give constitutional status to Rajasthani language

Shri Nihal Chand 753

(ix) Need to enhance the amount of loan disbursed to farmers through Kisan Credit Card

Shri Om Birla 754

(x) Regarding crisis of identity among indigenous people of Assam

Shrimati Bijoya Chakravarty 755

(xi) Need to bring a law or ordinance facilitating construction of Ram Mandir at Ayodhya in Uttar Pradesh

Shri Satya Pal Singh 756

(xii) Need to establish another Institute of Automotive Research Association of India in Adityapur in Jamshedpur Parliamentary Constituency, Jharkhand

Shri Bidyut Baran Mahato 757

(xiii) Need to build Ram Mandir at Ayodhya, Uttar Pradesh

Shri Subhash Chandra Baheria 758

(xiv) Need to review new tariff rates for TV cable service

Shrimati Rakshatai Khadse 759

(xv) Need to provide adequate funds for construction of Dhasa-Jetalsar new railway line project in Gujarat

Shri Naranbhai Kachhadia 760

(xvi) Regarding setting up of a MSME Technology centre at Tumkur, Karnataka

Shri S.P. Muddahanume Gowda 761

(xvii) Need to review decision to shut down the Central Potato Research station, Ooty in Tamil Nadu

Shri C. Gopalakrishnan 762-763

(xviii) Regarding problems caused by sea erosion in Cuddalore Parliamentary Constituency, Tamil Nadu

Shri A. Arunmozhithevan 764

(xix) Regarding maintenance of temples in Jagatsinghpur Parliamentary Constituency, Odisha

Dr. Kulmani Samal 765

(xx) Need to undertake measures for the Welfare of farmers of Buldhana district in Maharashtra

Shri Prataprao Jadhav 766

(xxi) Need to provide stoppage to 16305/16306 Intercity train at Pattambi, Kerala

Shri M. B. Rajesh 767

(xxii) Regarding lifting ban on 10 years old tractors

Shri Dushyant Chautala 768

(xxiii) Need to ensure return of thousands of Indian workers/labourers stranded in Riyadh, Saudi Arabia

Shri Kaushalendra Kumar 769

(xxiv) Regarding final notification for Ecologically Sensitive Areas of Western Ghats

Adv. Joice George 770

(xxv) Regarding completion of Kollam bypass

Shri N. K. Premachandran 771

SUBMISSION BY MEMBER

Re: Constitution of Joint Parliamentary Committee on purchase of Rafale Fighter Jets 776-778

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 779

Member-wise Index to Unstarred Questions 780-785

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 786

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 786-787

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

Shri Kalraj Mishra

SECRETARY GENERAL

Shrimati Snehlata Shrivastava

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Tuesday, December 18, 2018/Agrahayana 27, 1940 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

HON. SPEAKER: Q.No.101.

… (*Interruptions*)

<u>11 01 hrs</u>

At this stage, Shrimati V. Sathyabama, Shri Jayadev Galla, Shri Gurjeet Singh Aujla and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (*Interruptions*)

11 01 ½ hrs

ORAL ANSWER TO QUESTION

HON. SPEAKER: Q.No.101, Dr. Sunil Baliram Gaikwad.

(Q. 101)

डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़ : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। भारत चीन के बाद लहसुन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, हालांकि प्रति हैक्टेअर उत्पादन बहुत कम है।…(व्यवधान) इसके अलावा कम उत्पादन और खेती की ऊंची लागत के कारण लहसुन की उत्पादन लागत अधिक होती है। इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि लहसुन के उत्पादन की लागत को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, ताकि किसान लहसुन की खेती से जीविका कमा सके ।…(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह: अध्यक्ष महोदया, खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार एम.आई.डी.एच. योजना का कार्यान्वयन कर रही है और उसके तहत क्षेत्र विस्तार, संरक्षित खेती, समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन, जैविक खेती, जल संसाधन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, फसलोपरांत प्रबंधन और मंडी परिसरों के विकास आदि में निवेश कर रही है, योजनाएं चला रही है और उत्पादकता बढ़ाने के दृष्टिकोण से प्याज और लहसुन निदेशालय, पुणे के अंदर और बागवानी अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु के माध्यम से लहसुन और प्याज का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने की दृष्टि से हमारे वैज्ञानिक वहां अनुसंधान का काम भी करते हैं तथा नई वैराइटी निकालते हैं, उससे उत्पादन और उत्पादकता बढ़ती है।…(व्यवधान)

डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़ : महोदया, किसानों को लहसुन बेचने के बाद लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है। क्या भारत सरकार इसके भंडारण प्रक्रिया पर कोई नया कदम उठा रही है?...(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह: इसके भंडारण के लिए हम एम.आई.डी.एच. के तहत राज्यों को सहायता जारी करते हैं और राज्य में दस प्रतिशत उत्पादन ज्यादा हो और दाम में दस फीसदी की कमी आए, यह बाजार हस्तक्षेप योजना है। राज्यों से प्रस्ताव आने पर हम उसकी मंजूरी देते हैं और जो अंतर होता है, उसकी भरपाई भारत सरकार राज्य को करती है।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : मैडम स्पीकर, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने शुगरकेन, ऑनियन और गार्लिक के लिए बहुत सारे इंसेन्टिव्ज दिये हैं। क्या भारत सरकार के द्वारा दिए गए इन्सेन्टिव्ज किसानों के पास पहुंचे हैं? क्या यह सच नहीं है कि जो भी इन्सेन्टिव्ज दिए गए, सारा पैसा शुगर मिलों के पास चला गया, वह पैसा किसानों के पास नहीं गया? हमारे पंजाब में किसानों को पिछले साल के बकाया चार सौ करोड़ रुपये नहीं मिले। अकाली दल की ओर से धरने करने के बाद 25 करोड़ रुपये दिए गए।

मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार से जो पैसा इन्सेन्टिव के रुप में किसानों के लिए जाता है, क्या सरकार वह पैसा किसानों के पास ले जाने की कोई व्यवस्था करेगी?

जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसको कम करने के लिए, जो इधर के सोर्स हैं, उनको करमुक्त करने के लिए क्या सरकार तैयार है? …(व्यवधान) पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कोयला और पॉवर पर जो टैक्स लगता है, क्या सरकार उसको माफ कर के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने को तैयार है? …(व्यवधान) सरकार शुगरकेन के लिए क्या इंसेंटिव देने को तैयार है? यह सब मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। …(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह: अध्यक्ष महोदया, यह प्रश्न खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्रालय से संबंधित है। …(व्यवधान) फिर भी मोदी सरकार आने के बाद मिलों को जो भी सहायता मंत्रालय से दी गई है, फूड सप्लाई विभाग से दी गई है, वह सीधे किसानों के खाते में गई है। …(व्यवधान) सीधे सहायता, मिल मालिकों को तब दी जाती है, जब उतनी राशि किसान के खाते में जाती है। …(व्यवधान) यह विषय खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय से संबंधित है। …(व्यवधान)

11 07 hrs

At this stage, Kumari Sushmita Dev, Shrimati Anju Bala and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (*Interruptions*)

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे: माननीय अध्यक्ष महोदया, महाराष्ट्र के प्याज़ किसानों की समस्या से संबंधित प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ। ज्यादा उत्पादन होने के कारण और उचित भाव नहीं मिलने से किसान अपनी प्याज़ की फसल को रास्ते में ही फेंक देते हैं। …(व्यवधान) सरकार द्वारा उत्पादन बढ़ाने के लिए हर तरह से उपाय किए जाते हैं। …(व्यवधान) लेकिन किसानों को अपनी लागत का भी न्यूनतम भाव नहीं मिलता है। …(व्यवधान) प्याज़ किसानों को निर्धारित न्यूनतम मूल्य मिले, इसके लिए सरकार क्या विचार कर रही है? …(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, मैंने पहले भी बताया है कि जिन जिन्सों का समर्थन मूल्य निश्चित नहीं है, उनके लिए बाज़ार हस्तक्षेप योजना है। …(व्यवधान) राज्य सरकार से प्रस्ताव आने पर हम उनको यह देते हैं। …(व्यवधान) मूल्य का जो समर्थन होता है, उसकी आधी भरपाई राज्य सरकार करती है। …(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल: अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर माननीय मंत्री जी से अनुपूरक प्रश्न पूछने की मुझे अनुमति दी है। …(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिन जिन्सों को मिलता है, जैसे गेहूँ एवं धान आदि हैं तो क्या लहसुन और प्याज़ को भी उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंतर्गत लाने की कृपा करेंगे? …(व्यवधान) किसानों के उन उत्पादों का, जिनका उत्पादन मूल्य नहीं मिल रहा है, जिसके कारण किसानों को मज़बूर हो कर प्याज़ और लहसुन आदि को सडक पर फेंकना पड़ रहा है। …(व्यवधान) क्या भारत सरकार सहायता देने की जगह पर लहसुन और प्याज़ को उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस में, उन जिन्सों में भी शामिल करने की कृपा करेगी? …(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, मैंने पहले भी बताया है कि 22 जिन्सों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित है। …(व्यवधान) शेष जो हैं, उनके लिए बाज़ार हस्तक्षेप योजना है। …(व्यवधान) इसका उपयोग उत्तर प्रदेश की सरकार ने आलू पर किया है। …(व्यवधान) जब भी किसी राज्य से प्रस्ताव आता है, हम बाज़ार में हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं। …(व्यवधान)

HON. SPEAKER: This is not the way.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 1200 noon.

<u>11 09 hrs</u>

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

<u>12 00 hrs</u>

The Lok Sabha re-assembled at Twelve of the Clock.

(Hon. Speaker *in the Chair*)

… (*Interruptions*)

At this stage, Shrimati V. Sathyabama, Kumari Sushmita Dev and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (*Interruptions*)

<u>12 01 hrs</u>

At this stage, Shri Jayadev Galla and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे विभिन्न विषयों पर कुछ सदस्यों से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं। मामले महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसके लिए कार्यवाही में व्यवधान डालना आवश्यक नहीं है। इसलिए मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना को अनुमति प्रदान नहीं की है।

…(व्यवधान)

12 03 hrs

RESIGNATION BY MEMBER

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को यह सूचित करना है कि तेलंगाना के पेड्डापल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री बलका सुमन ने लोक सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया है। मैंने उनका त्याग-पत्र 17 दिसंबर, 2018 से स्वीकार कर लिया है।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Hon. Members, I have received notices of Question of Privilege dated 18th December, 2018 from Shri N.K. Premachandran, Shri P. Karunakaran, Shri Anurag Singh Thakur, Shri Pralhad Joshi, Shri Prahlad Singh Patel, Shri Nishikant Dubey and Dr. Sanjay Jaiswal. The matter is under my consideration.

… (*Interruptions*)

12 04 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table.

कृषि और किसान कल्याण मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह): अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ : -

(1) रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा 44 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय भर्ती नियम (अध्यापन कर्मचारी)-2016 जो 24 अक्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. आरएलबीसीएयू/सीपी/47/2016 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय भर्ती नियम (गैर-अध्यापन कर्मचारी)-2016 जो 24 अक्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. आरएलबीसीएयू/सीपी/47/2016 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 9904/16/18]

(2) नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[Placed in Library, See No. LT 9905/16/18]

…(व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (RAO INDERJIT SINGH): I beg to to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(1) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Fertilizer and Chemicals Travancore Limited, for the year 2017-2018.

(ii) Annual Report of the Fertilizer and Chemicals Travancore Limited, for the year 2017-2018, along with Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 9906/16/18]

(2) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the National Fertilizers Limited, New Delhi, for the year 2017-2018.

(ii) Annual Report of the National Fertilizers Limited, New Delhi, for the year 2017-2018, along with Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 9907/16/18]

(3) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Madras Fertilizer Limited, Chennai, for the year 2017-2018.

(ii) Annual Report of the Madras Fertilizer Limited, Chennai, for the year 2017-2018, along with Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 9908/16/18]

(4) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the FCI Aravali Gypsum and Minerals India Limited, Jodhpur, for the year 2017-2018.

(ii) Annual Report of the FCI Aravali Gypsum and Minerals India Limited, Jodhpur, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 9909/16/18]

(5) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Projects and Development India Limited, Noida, for the year 2017-2018.

(ii) Annual Report of the Projects and Development India Limited, Noida, for the year 2017-2018, along with Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 9910/16/18]

(6) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited, Dibrugarh, for the year 2017-2018.

(ii) Annual Report of the Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited, Dibrugarh, for the year 2017-2018, along with Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 9911/16/18]

(7) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited, Mumbai, for the year 2017-2018.

(ii) Annual Report of the Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited, Mumbai, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 9912/16/18]

(8) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Hindustan Fertilizer Corporation Limited, New Delhi, for the year 2017-2018.

(ii) Annual Report of the Hindustan Fertilizer Corporation Limited, New Delhi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 9913/16/18]

(9) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Fertilizer Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2017-2018.

(ii) Annual Report of the Fertilizer Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 9914/16/18]

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदया, मैं श्री हंसराज गंगाराम अहीर की ओर से प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (कैश ट्रांसपोर्टेशन क्रियाकलापों के लिए प्राइवेट सुरक्षा) नियम, 2018 जो 8 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 755(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 9915/16/18]

...(व्यवधान)

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परषोतम रूपाला): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ : -

(1) कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अंतर्गत जारी नाशकजीवमार (प्रतिषेध) आदेश, 2018 जो 9 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.3951 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9916/16/18]

(2) (एक) नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ प्लांट हैल्थ मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ प्लांट हैल्थ मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ प्लांट हैल्थ मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9917/16/18]

(3) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की धारा 124 के अंतर्गत बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) नियम, 2018 जो 15 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.नि.का. 567(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9918/16/18]

(4) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4(घ) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पादप करंतीन (भारत में आयात का विनियमन) (छठा संशोधन) आदेश, 2018, जो 17 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 3998(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) पादप करंतीन (भारत में आयात का विनियमन) (सातवां संशोधन) आदेश, 2018, जो 5 अक्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 5158(अ) में प्रकाशित हुआ था

(तीन) का.आ. 5280(अ) जो 15 अक्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तमिलनाडु, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर से सीड पोटेटो का उसमें पोटेटो सिस्ट निमाटोड होने के कारण भारत के अन्य सभी राज्योंसंघ/ राज्य क्षेत्रों में संचलन का प्रतिषेध किया गया है।

(चार) का.आ. 5642(अ) जो 2 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर से सीड पोटेटो का उसमें पोटेटो सिस्ट निमाटोड होने के कारण भारत के अन्य सभी राज्योंसंघ/ राज्य क्षेत्रों में संचलन का प्रतिषेध किया गया है।

[Placed in Library, See No. LT 9919/16/18]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गूर्जर): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ : -

(एक) रामकृष्ण मिशन ब्लाइंड ब्वायज एकेडमी, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 और 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) रामकृष्ण मिशन ब्लाइंड ब्वायज एकेडमी, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 और 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 9920/16/18]

(3) (एक) सोसाइटी ऑफ क्रिस्ट ज्योति, वाराणसी के वर्ष 2014-2015 और 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) सोसाइटी ऑफ क्रिस्ट ज्योति, वाराणसी के वर्ष 2014-2015 और 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 9921/16/18]

(5) (एक) श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 9922/16/18]

(7) (एक) श्री इंस्टीटयूट फॉर मेन्टली हैण्डीकैप्ड, समलकोट के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) श्री इंस्टीटयूट फॉर मेन्टली हैण्डीकैप्ड, समलकोट के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 9923/16/18]

(9) (एक) नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9924/16/18]

(10)(एक) कचाजूली फिजिकली हैण्डीकैप्ड स्कूल एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, लखीमपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) कचाजूली फिजिकली हैण्डीकैप्ड स्कूल एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, लखीमपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 9925/16/18]

(12)(एक) शिशु सखा संघ, खोरडा के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) शिशु सखा संघ, खोरडा के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 9926/16/18]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Disaster Management Authority, New Delhi, for the year 2017-2018.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Disaster Management Authority, New Delhi, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 9927/16/18]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Disaster Management, New Delhi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Disaster Management, New Delhi, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 9928/16/18]

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949:-

(i) The Central Reserve Police Force, Engineering Officers (Group 'A' Posts), Recruitment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.168 in weekly Gazette of India dated 16th June, 2018.

(ii) The Central Reserve Police Force, Group 'C' (Combatised Para Medical posts) Recruitment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.364 weekly in Gazette of India dated 10th November, 2018.

[Placed in Library, See No. LT 9929/16/18]

(4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 167 of the Assam Rifles Act, 2006:-

(i) The Assam Rifles, Warrant Officer (Personal Assistant), Ministerial, Recruitment (Amendment) Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.182 in weekly Gazette of India dated 23rd June, 2018.

(ii) The Assam Rifles Radio Mechanic, Group 'B' posts Recruitment (Amendment) Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.183 in weekly Gazette of India dated 23rd June, 2018.

(iii) The Assam Rifles Tradesman (Group 'C' combatised posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.184 in weekly Gazette of India dated 23rd June, 2018.

(iv) The Assam Rifles, Veterinary Field Assistant (Group 'C' post) Recruitment (Amendment) Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.185 in weekly Gazette of India dated 23rd June, 2018.

(v) The Assam Rifles, Warrant Officer (General Duty) Group 'C' combatised post Recruitment (Amendment) Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.186 in weekly Gazette of India dated 23rd June, 2018.

[Placed in Library, See No. LT 9930/16/18]

(5) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 141 of the Border Security Force Act, 1968:-

(i) The Ministry of Home Affairs, Border Security Force, Radio Operator and Radio Mechanic (Non-Gazetted) Cadre Recruitment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.1069(E) in Gazette of India dated 26th October, 2018.

(ii) The Border Security Force, Engineering Set up, Draftsman (Group 'B' and Group 'C' Posts) Combatised Recruitment (Amendment) Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.861(E) in Gazette of India dated 11th September, 2018.

[Placed in Library, See No. LT 9931/16/18]

…(व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): I beg to lay on the Table a copy each of the following statements (Hindi and English versions) showing Action Taken by the Government on the assurances, promises and undertakings given by the Ministers during various sessions of Thirteenth, Fourteenth, Fifteenth and Sixteenth Lok Sabhas:-

THIRTEENTH LOK SABHA

1. Statement No.38 Twelfth Session, 2003

[Placed in Library, See No. LT 9932/16/18]

FOURTEENTH LOK SABHA

2. Statement No. 31 Second Session, 2004

[Placed in Library, See No. LT 9933/16/18]

3. Statement No. 37 Sixth Session, 2005

[Placed in Library, See No. LT 9934/16/18]

4. Statement No. 30 Tenth Session, 2007

[Placed in Library, See No. LT 9935/16/18]

5. Statement No. 25 Eleventh Session, 2007

[Placed in Library, See No. LT 9936/16/18]

FIFTEENTH LOK SABHA

6. Statement No. 29 Fourth Session, 2010

[Placed in Library, See No. LT 9937/16/18]

7. Statement No. 29 Fifth Session, 2010

[Placed in Library, See No. LT 9938/16/18]

8. Statement No. 28 Sixth Session, 2010

[Placed in Library, See No. LT 9939/16/18]

9. Statement No. 25 Seventh Session, 2011

[Placed in Library, See No. LT 9940/16/18]

10.Statement No. 27 Eighth Session, 2011

[Placed in Library, See No. LT 9941/16/18]

11.Statement No. 26 Ninth Session, 2011

[Placed in Library, See No. LT 9942/16/18]

12.Statement No. 25 Tenth Session, 2012

[Placed in Library, See No. LT 9943/16/18]

13. Statement No. 23 Eleventh Session, 2012

[Placed in Library, See No. LT 9944/16/18]

14. Statement No. 22 Twelfth Session, 2012

[Placed in Library, See No. LT 9945/16/18]

15. Statement No.21 Thirteenth Session, 2013

[Placed in Library, See No. LT 9946/16/18]

16.Statement No. 18 Fourteenth Session, 2013

[Placed in Library, See No. LT 9947/16/18]

17. Statement No. 17 Fifteenth Session, 2013-14

[Placed in Library, See No. LT 9948/16/18]

SIXTEENTH LOK SABHA

18. Statement No. 16 Second Session, 2014

[Placed in Library, See No. LT 9949/16/18]

19.Statement No. 15 Third Session, 2014

[Placed in Library, See No. LT 9950/16/18]

20.Statement No. 14 Fourth Session, 2015

[Placed in Library, See No. LT 9951/16/18]

21.Statement No. 12 Fifth Session, 2015

[Placed in Library, See No. LT 9952/16/18]

22.Statement No. 11 Sixth Session, 2015

[Placed in Library, See No. LT 9953/16/18]

23.Statement No. 9 Seventh Session, 2016

[Placed in Library, See No. LT 9954/16/18]

24.Statement No. 9 Eighth Session, 2016

[Placed in Library, See No. LT 9955/16/18]

25.Statement No. 8 Ninth Session, 2016

[Placed in Library, See No. LT 9956/16/18]

26.Statement No. 6 Tenth Session, 2016

[Placed in Library, See No. LT 9957/16/18]

27. Statement No.6 Eleventh Session, 2017

[Placed in Library, See No. LT 9958/16/18]

28.Statement No. 4 Twelfth Session, 2017

[Placed in Library, See No. LT 9959/16/18]

29.Statement No. 3 Thirteenth Session, 2017-18

[Placed in Library, See No. LT 9960/16/18]

30.Statement No. 2 Fourteenth Session, 2018

[Placed in Library, See No. LT 9961/16/18]

31.Statement No. 1 Fifteenth Session, 2018

[Placed in Library, See No. LT 9962/16/18]

…(व्यवधान)

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा राज): अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:-

(1) नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आणंद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आणंद के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9963/16/18]

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री जसवंत सिंह भाभोर- उपस्थित नहीं।

…(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदया, मैं श्री मनसुख एल. मांडविया की ओर से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, रायबरेली के वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 9964/16/18]

…(व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRIES (SHRI C.R. CHAUDHARY): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Warehousing Corporation, New Delhi, for the year 2017-2018, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Warehousing Corporation, New Delhi, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 9965/16/18]

(2) A copy of the Sugar Development Fund (Amendment) Rules, 2018 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.885(E) in Gazette of India dated 17th September, 2018 under sub-section (3) of Section 9 of the Sugar Development Fund Act, 1982.

[Placed in Library, See No. LT 9966/16/18]

(3) A copy of the Consumer Protection (twenty second Amendment) Rules, 2018 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.898(E) in Gazette of India dated 20th September, 2018 under Section 31 of the Consumer Protection Act, 1986.

[Placed in Library, See No. LT 9967/16/18]

(4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 40 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016:-

(i) The Bureau of Indian Standards (Amendment) Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.1090(E) in Gazette of India dated 6th November, 2018 together with a corrigendum thereto published in the Notification No. G.S.R.1132(E) dated 20th November, 2018.

(ii) The Bureau of Indian Standards (Powers and Duties of Director General) Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. BS/11/10/2018 in Gazette of India dated 29th August, 2018.

[Placed in Library, See No. LT 9968/16/18]

(5) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) issued under Section 39 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016:-

(i) Notification No. F. No. BS/11/05/2018 published in Gazette of India dated 12th October, 2018, making certain amendments in Notification No. BS/11/05/2018 dated 14th June, 2018.

(ii) Notification No. F. No. BS/11/04/2018 published in Gazette of India dated 12th October, 2018, making certain amendments in Notification No. BS/11/04/2018 dated 7th June, 2018.

(iii) Notification No. F. No. BS/11/11/2018 published in Gazette of India dated 12th October, 2018, making certain amendments in Notification No. BS/11/11/2018 dated 4th June, 2018.

[Placed in Library, See No. LT 9969/16/18]

… (*Interruptions*)

12 05 hrs

COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS
118th to 123rd Reports

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Madam, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Public Accounts Committee (2018-19):-

(1) 118th Report on Action taken by the Government on the Observations/ Recommendations of the Committee contained in their 39th Report (16th Lok Sabha) on 'Preservation and Conservation of Monuments and Antiquities'.

(2) 119th Report on Action taken by the Government on the Observations/ Recommendations of the Committee contained in their 87th Report (16th Lok Sabha) on 'Maintenance of Bridges in Indian Railways'.

(3) 120th Report on Action taken by the Government on the Observations/ Recommendations of the Committee contained in their 96th Report (16th Lok Sabha) on 'Management of Narcotics Substances'.

(4) 121st Report on Action taken by the Government on the Observations/ Recommendations of the Committee contained in their 94th Report (16th Lok Sabha) on 'Working of Central Board of Film Certification (CBFC) and Academic Activities of Satyajit Ray Film and Television Institute, Kolkata for the period from 2010-11 to 2014-15'.

(5) 122nd Report on the subject 'Kendriya Vidyalaya Sangathan and Gujarat Vidyapith'.

(6) 123rd Report on the subject 'Ineffective Monitoring by APEDA'.

… (*Interruptions*)

12 05 ½ hrs

COMMITTEE ON PETITIONS

57th to 63rd Reports

श्री भगत सिंह कोश्यारी (नैनीताल-ऊधम सिंह नगर): महोदया, मैं याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

1. हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (एचईसीएल), रांची के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बकाया राशि का भुगतान न किए जाने के बारे में श्री मधुबन यादव और अन्य से प्राप्त तथा श्री राम टहल चौधरी, संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा अग्रेषित अभ्यावेदन संबंधी सत्तावनवां प्रतिवेदन।
2. गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में देश में उच्चतर शिक्षा की स्थिति के बारे में श्री सत्येन्द्र सिंह से प्राप्त तथा श्री विनोद सोनकर, संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा अग्रेषित अभ्यावेदन संबंधी अट्ठावनवां प्रतिवेदन।
3. डिजिटल उद्यम की आड़ में बैंक ऑफ बड़ौदा की अनुषंगी नैनीताल बैंक लिमिटेड की प्रस्तावित बिक्री के बारे में सुश्री निशा कामत और नैनीताल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारियों से प्राप्त अभ्यावेदन संबंधी उनसठवां प्रतिवेदन।
4. संविदा श्रमिकों की कार्य दशाओं को शासित करने वाले ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 में संशोधन के बारे में श्री सपन कुमार घोषाल से प्राप्त अभ्यावेदन पर याचिका समिति के चौबीसवें प्रतिवेदन में समिति (सोलहवीं लोक सभा) द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाही संबंधी साठवां प्रतिवेदन।
5. भारतीय तेल निगम लिमिटेड (आईओसीएल) के ग्राहकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत बनाए जाने के बारे में श्री प्रज्ञा प्रिया राहुल से प्राप्त अभ्यावेदन पर याचिका समिति

के बत्तीसवें प्रतिवेदन में समिति (सोलहवीं लोक सभा) द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी इकसठवां प्रतिवेदन।

6. एयर इंडिया की तुलना में एलाएंस एयर कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कथित असमानता और उनकी सेवा की अन्य शर्तों में सुधार किए जाने के बारे में श्री अमित रॉय, महासचिव, एलाएंस एयर कर्मचारी संघ से प्राप्त तथा श्री जितेन्द्र चौधरी, संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा अग्रेषित अभ्यावेदन पर याचिका समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन में समिति (सोलहवीं लोक सभा) द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी बासठवां प्रतिवेदन।

7. 1965 के भारत-पाक युद्ध में शहीद हुए स्व. मेजर मोहन सिंह को परमवीर चक्र प्रदान किए जाने और उससे संबधित अन्य मुद्दों के बारे में ब्रिगेडियर एन.बी.सिंह (सेवानिवृत्त) से प्राप्त तथा श्री देवेन्द्र सिंह, 'भोले', संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा अग्रेषित अभ्यावेदन पर याचिका समिति के पैतालीसवें प्रतिवेदन में समिति (सोलहवी लोक सभा) द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी तिरसठवां प्रतिवेदन।

---

12 06 hrs

COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE
25th to 33rd Reports

SHRI CHANDRAKANT KHAIRE (AURANGABAD): Madam, I beg to present the Twenty-fifth, Twenty-sixth, Twenty-seventh, Twenty-eighth, Twenty-ninth, Thirtieth Reports (Action Taken) and Thirty-first, Thirty-second and Thirty-third Reports (Hindi and English versions) of the Committee on Papers Laid on the Table (2018-2019).

---

12 06 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON LABOUR
43rd to 44th Reports

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : महोदया, मैं श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

1. श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित 'मजदूरी संहित विधेयक, 2017' के बारे में तैतालीसवां प्रतिवेदन।
2. श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित टीवी/प्रसारण/डिजिटल मनोरंजन/विज्ञापन उद्योग के श्रमिकों की संख्या, सुरक्षा और कल्याण' के बारे में चौवालीसवां प्रतिवेदन।

---

12 07 hrs

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 44th Report of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on Demands for Grants (2018-19) pertaining to the Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers *

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (RAO INDERJIT SINGH): Madam, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 44th Report of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on Demands for Grants (2018-19) pertaining to the Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 9970/16/18.

<u>12 08 hrs</u>

(ii) (a) Status of implementation of the recommendations contained in the 211th Report of the Standing Committee on Home Affairs on 'The Cyclone Ockhi- its impact on Fishermen and Damage caused by it', pertaining to the Ministry of Home Affairs*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Madam, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 211th Report of the Standing Committee on Home Affairs on 'The Cyclone Ockhi-its impact on Fishermen and Damage caused by it', pertaining to the Ministry of Home Affairs.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 9971/16/18.

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 206th Report of the Standing Committee on Home Affairs on Action Taken by the Government on the recommendations contained in 201st Report of the Committee on Demands for Grants (2017-18), pertaining to the Ministry of Home Affairs*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Madam, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 206th Report of the Standing Committee on Home Affairs on Action Taken by the Government on the recommendations contained in 201st Report of the Committee on Demands for Grants (2017-18), pertaining to the Ministry of Home Affairs.

* Laid on the Table and also placed in Library, See Nos. LT 9972/16/18 .

(c) Status of implementation of the recommendations contained in the 209th Report of the Standing Committee on Home Affairs on Demands for Grants (2018-19) pertaining to the Ministry of Home Affairs*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Madam, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 209th Report of the Standing Committee on Home Affairs on Demands for Grants (2018-19) pertaining to the Ministry of Home Affairs.

* Laid on the Table and also placed in Library, See Nos. LT 9973/16/18.

(d) Status of implementation of the recommendations contained in the 213th Report of the Standing Committee on Home Affairs on 'Security Situation in the North Eastern States of India', pertaining to the Ministry of Home Affairs*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Madam, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 213th Report of the Standing Committee on Home Affairs on 'Security Situation in the North Eastern States of India', pertaining to the Ministry of Home Affairs.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See Nos. LT 9974/16/18.

12 08 ½ hrs

(iii) (a) Status of implementation of the recommendations contained in the 45th Report of the Standing Committee on Agriculture on 'Implementation of Scheme for Integrated Cold Chain and Value Addition Infrastructures' pertaining to the Ministry of Food Processing Industries*

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति): महोदया, मैं निम्नलिखित के बारे में एक वक्तव्य सदन के पटल पर रखती हूँ:-

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'एकीकृत कोल्ड चैन योजना और मूल्यवर्धन अवसंरचनाओं के कार्यान्वयन' के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 45वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See Nos. LT 9975/16/18 .

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 50th Report of the Standing Committee on Agriculture on Demands for Grants (2018-19) pertaining to the Ministry of Food Processing Industries*

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति): महोदया, मैं निम्नलिखित के बारे में एक वक्तव्य सदन के पटल पर रखती हूँ:-

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 50वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See Nos. LT 9976/16/18.

12 09 hrs

(iv) Status of implementation of the recommendations contained in the 49th Report of the Standing Committee on Agriculture on Demands for Grants (2018- 19) pertaining to the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries (DADF), Ministry of Agriculture and Farmers Welfare*

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा राज): महोदया, मैं पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग (डीएडीएफ), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 49वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखती हूँ।

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See Nos. LT 9977/16/18 .

12 10 hrs

NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN (AMENDMENT) BILL, 2018*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRIES (SHRI C.R. CHAUDHARY): Madam, on behalf of Shri Suresh Prabhu, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the National Institute of Design Act, 2014.

HON. SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to amend the National Institute of Design Act, 2014."

The motion was adopted.

SHRI C.R. CHAUDHARY: Madam, I introduce the Bill.

… (*Interruptions*)

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2 dated 18.12.2018

12 11 hrs

MATTERS UNDER RULE 377*

HON. SPEAKER: Hon. Members, the Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House immediately. Members may personally hand over the text of the matter at the Table of the House immediately.

… (*Interruptions*)

* Treated as laid on the Table

(i) Regarding completion of Chikamagalur-Sakleshpur railway line

KUMARI SHOBHA KARANDLAJE (UDUPI CHIKMAGALUR): Chikmagalur-Sakleshpur railway line project in Karnataka is one of the important projects for the development of Malnad area in the State. The project is being taken up on a cost-sharing basis. Once the project is completed, it will enable better connectivity towards Mangalore, Hubli, Mumbai and Bengaluru. The 47-km line passes through Nadihalli, Belur, Bikkodu, Masavalli, and Halsugipetta to reach Sakleshpur. This line is a step closer to the completion of the Chikmagalur-Belur-Sakleshpur rail line project sanctioned during 1996—97. It is going to be useful to link Chikmagalur either from Hassan or Sakleshpur, as trains from Mysore to Hubli and Shimoga could be diverted along Chikmagalur town instead of Hassan - Arasikere route. The line will facilitate better connectivity and spur development of villages. I request the Railway Minister for the release of at least Rs. 100 crore to speed up this railway line.

(ii) Need to declare 3rd December, the birthday of Dr. Rajendra Prasad, the first President of the country as national Holiday

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज): हमारे देश में अनेक महापुरूष हुए हैं। कईयों के नाम उनके कृतित्व, योग्यता, त्याग, तपस्या और बलिदान के कारण विश्व पटल पर और देश में स्थापित हुए। इन्हीं महापुरूषों में से देश की आजादी के बाद से कईयों के नाम पर देश में अनेक योजनाओं, पथों, रेलवे स्टेशनों, स्थलों, जिला, शहरों और संस्थाओं के नाम सहित राष्ट्रीय दिवस मनाने संबंधी दिवसों का नामकरण भी हमारे देश में विभिन्न सरकारों द्वारा किया गया है। ऐसे ही महापुरूषों में एक महापुरूष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद थे, जो देश के पहले राष्ट्रपति बने। उनके नाम पर कोई भी महत्वपूर्ण न योजना है न दिवस। यहाँ तक कि उनके जन्म जयंती को भी व्यापक रूप से देश स्तर पर मनाने के लिए **दिनांक 03 दिसम्बर को राष्ट्रीय अवकाश** घोषित नहीं किया गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के लिए इनकी प्रतिभा, त्याग, बलिदान और कर्म अन्य किसी भी अग्रिम पंक्ति के महापुरूषों से कम नहीं है इसके बावजूद इन्हें अपेक्षित सम्मान नहीं दिया गया है।

अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि देश के प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न **डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के जन्मदिन दिनांक 03 दिसम्बर** को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करते हुए इस दिन को विधिवेत्ता दिवस के रूप में मनाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए।

(iii) Need to increase BSNL mobile towers in Narmada and Bharuch districts of Gujarat

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरूच): मेरे लोक सभा क्षेत्र भरूच-नर्मदा जिले में बी.एस.एन.एल. के मोबाइल टावर बहुत कम होने की वजह से नेटवर्क नहीं मिल पाने से दूरसंचार में काफी कठिनाइयां आती हैं और जिससे स्थानीय जनता को परेशानी उठानी पड़ती हैं। मैं जब भी अपने संसदीय क्षेत्र में प्रवास पर रहता हूँ तो यह समस्या प्रमुख रूप से सामने आती है।

वैसे भी नर्मदा जिले में सरदार सरोवर के तट पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के विशाल प्रोजेक्ट की वजह से देश और विदेश के पर्यटकगण बड़ी संख्या में आते रहते हैं। यहाँ आने वाले पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भी दूरसंचार की कठिनाई को तत्काल दूर करने की आवश्यकता है।

भरूच जिले के नेतरंग तालुका के वनखुटा, मुंगज, मचामढ़ी, जैसपुर क्षेत्र में भी एक मोबाइल टावर लगाए जाने की आवश्यकता है। नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा तहसील के देवमोंगरा जो कि आदिवासियों की आस्था का केंद्र है तथा साथ ही मालसामोठ का एक हिल स्टेशन के रूप में विकास हो रहा है। यह क्षेत्र भी मोबाइल टावर की सुविधा से वंचित है।

मेरा सरकार से आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के उपरोक्त क्षेत्रों में मोबाइल टावर की उपलब्धता तत्काल सुनिश्चित करवाने में सहयोग करें।

(iv) Regarding healthcare issues of tribals

DR. KIRIT P. SOLANKI (AHMEDABAD): I want to raise the pertinent issue of tribal health in the country. According to the expert committee report called Tribal Health in India by the health and welfare ministry, 104 million tribal people accounting for 8.6% of India's population are heavily marginalised and discriminated against. Not only are tribal communities socio-economically deprived, they also face a host of structural inequalities, with access to healthcare being one of the biggest. According to expert committee report, 42% of tribal children are underweight, 1.5 times higher than non- tribal children. They constitute 8% of the total population but having 30% of the malaria cases. Fifty percent of all malaria related deaths are in the tribal population. I urge the Government to release an annual budget amounting to 2.5% GDP on per capita basis for tribal healthcare.

(v) Regarding Electrification of villages under Muzaffarpur Parliamentary Constituency, Bihar

श्री अजय निषाद (मुजफ्फरपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र मुजफ्फरपुर एवं पूरे जिले के लगभग आठ प्रखंडों-मुशहरी, बोचहॉ, गायघाट, कटरा, तुर्की, मडवन, कॉटी एवं मीनापुर में संपोषण एवं विद्युतीकरण कार्य अभी तक नहीं कराया गया है। पूरे जिले में संपोषण एवं विद्युतीकरण कार्य की जिम्मेदारी मुजफ्फरपुर में कार्यरत एजेंसी (फ्रेंचाइजी) मुजफ्फरपुर विद्युत वितरण कपनी की है लेकिन इस एजेंसी द्वारा जिले के आठ प्रखंडों में अभी तक संपोषण एवं विद्युतीकरण नहीं कराया गया है, जिस कारण पूरे जिले का विकास बाधित है और आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही लोगों में असंतोष व्याप्त है। विद्युत संरचना की दयनीय स्थिति न केवल जिले के आठ प्रखंडों में है बल्कि मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र में भी आई.पी.डी.एस. का कोई कार्य नहीं होने से शहरी क्षेत्र की स्थिति भी दयनीय है। इन सभी कार्यों के सम्पादन हेतु विशेष राशि के आबंटन की भी अति आवश्यक है।

मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि पूरे मुजफ्फरपुर जिले के उपरोक्त प्रखंडों एवं शहरी क्षेत्र के आमजनों की परेशानियों एवं उत्तरोत्तर विकास हेतु संपोषण एवं विद्युतीकरण एवं आई.पी.डी.एस. कार्य हेतु विशेष राशि आवंटन के साथ शीघ्र प्रारंभ कराया जाये।

(vi)Regarding E-auction of coal by CCL and BCCL in Giridih Parliamentary Constituency, Jharkhand

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत कोल इण्डिया की अनुषांगिक इकाई सी.सी.एल. एवं बी.सी.सी.एल. में पिछले 4-5 महीनों से ई-ऑक्शन के तहत कोयला का आवंटन नहीं दिया जा रहा है। ई-ऑक्शन के तहत विभिन्न कोलियरियों में आवंटन के विरूद्ध कोयला व्यवसायी बोली लगाकर खुली प्रतिस्पर्द्धा के तहत कोयला खरीदते हैं जो कि फैक्ट्रियों को लिंकेज के तहत दिये गये कोयले की दर से 100 से 150 गुणा अधिक होता है, जिससे कोल इण्डिया को भी भारी राजस्व की प्राप्ति होती है। परन्तु पिछले 4-5 महीनों से ई-ऑक्शन के तहत कोयले का आवंटन नहीं मिलने से इससे जुड़े सैकड़ों व्यवसायी बेरोजगार हो गये हैं। गाड़ियों की किश्त तक नहीं जा पा रही है, वहीं इससे जुड़े लाखों असंगठित मजदूर जिनकी रोजी-रोटी कोयला लदाई से ही दैनिक मजदूरी पर चलती है, उनके समक्ष आज भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है और साथ ही कोल इण्डिया को राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। इस संबंध में मैंने सी.सी.एल. एवं बी.सी.सी.एल. के सी.एम.डी. से भी बात की परंतु इस दिशा में कोई पहल नहीं हुई। ई-ऑक्शन के बंद होने से जहां विरोधियों द्वारा नाना प्रकार की भ्रांतियां फैलायी जा रही है, वही सरकार की भी बदनामी हो रही है।

अतः केंद्र सरकार से मेरा आग्रह है खासकर सी.सी.एल. एवं बी.सी.सी.एल. के विभिन्न कोलियरियों में ई-ऑक्शन के तहत कोयला का आवंटन यथाशीघ्र दिया जाये।

(vii) Regarding priority to children of West Pakistan Refugees residing in Jammu and Kashmir in recruitment and Prime Minister Scholarship Scheme

श्री जुगल किशोर (जम्मू): मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र जम्मू की ओर दिलाना चाहता हूँ। जम्मू-कश्मीर राज्य स्थित डब्ल्यू.पी.आर. (रिफ्यूजी) जो भारत के वासी हैं, वे भारत-पाक विभाजन के समय पलायन होकर जम्मू-कश्मीर में आये थे और जम्मू-कश्मीर में बसे हैं।

मैं इनसे संबंधित मंत्रालय से कहना चाहता हूँ कि इनके बच्चों को डिफेंस और पैरामिलिट्री फोर्स में भर्ती के लिए इनको वर्ग (कैटेगिरी) सर्टिफिकेट दिया जाये जबकि वह किसी भी भर्ती में जरूरी है तथा भारत में जितनी भी नौकरियां हैं, चाहे रेलवे, बैंकिंग, फौज, इत्यादि उनमें इन रिफ्यूजियों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, जो इनको नहीं मिल रही है तथा डब्ल्यू.पी.आर. वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी के बच्चों को प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना में प्राथमिकता देने की कृपा करें। इनको 70 वर्षों से रहते हुए भी अभी तक जम्मू-कश्मीर की स्थायी नागरिकता नहीं मिली है।

(viii) Need to give constitutional status to Rajasthani language

श्री निहाल चन्द (गंगानगर): राजस्थान के करोड़ों लोगों की भावना को ध्यान में रखते हुए और राजस्थानी भाषा को सम्मान का दर्जा देते हुए राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिए जाने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु 25 अगस्त 2003 को राजस्थान विधान सभा से उपरोक्त आशय का संकल्प प्रस्ताव पास होने के बाद केंद्र सरकार को भेजा गया था, परन्तु इस पर अभी तक सुनिश्चित कार्यवाही नहीं हो पाई है। राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता मिलने से प्रदेश के प्रत्येक जिले की जनता को शिक्षा एवं रोजगार हासिल करने में भी मदद मिलेगी।

(ix) Need to enhance the amount of loan disbursed to farmers through Kisan Credit Card

श्री ओम बिरला (कोटा) : मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि किसानों को पूरे देश में कॉमर्शियल एवं सहकारी बैंकों के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) के माध्यम से 3 लाख रूपये का फसली ऋण 3 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जा रहा है, तथा 3 लाख से अधिक राशि पर बैंकों द्वारा 8 से 12 प्रतिशत तक ब्याज दर ली जाती है। सामान्यतः किसान को फसल उत्पादन हेतु 3 लाख रूपये की राशि कम होने के कारण अधिक राशि के ऋण के रूप में अधिक ब्याज दर पर लेनी पड़ती है जिससे किसानों को काफी आर्थिक भार उठाना पड़ता है।

मेरी मांग है कि कॉमर्शियल बैंकों के द्वारा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) के माध्यम से मिलने वाली 3 लाख रूपये की राशि को बढ़ाकर 5 लाख रूपये किया जाए, साथ ही 3 प्रतिशत ब्याज दर को जीरो प्रतिशत किया जाए।

(x) Regarding crisis of identity among indigenous people of Assam

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY (GUWAHATI): I want to draw the attention of the Government towards the Identity crisis of indigenous Assamese people. The crises of people started before Independence. This was referred to by famous historian Mr. Scod. He wrote that in the course of time, Assamese people will be found in Sibasagar District only. Rest of the land will be devoured by then Pakistani and present Bangladeshi people. Some of the indigenous people find it extremely difficult to get their names registered in the NRC (National Registration of Citizens) due to non-availability of relevant documents with them. Whereas migrants from Bangladesh are procuring Aadhaar Cards and Indian Passports illegally by producing doubtful legacy documents and submitting the same to NRC (National Registration of Citizens) to show themselves as Indian. As such in the sensitive areas of Districts of Assam, these Muslims became majority in 17 Districts replacing indigenous people.

Hence, the Clause 6 of 1985 Assam Accord be implemented strictly, else name of Assam will remain only in History.

(xi) Need to bring a law or ordinance facilitating construction of Ram Mandir at Ayodhya in Uttar Pradesh

श्री सत्यपाल सिंह (सम्भल): सर्वविदित और ग्रंथों में वर्णित है कि भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ हुआ था। मर्यादा पुरूषोत्तम राम मंदिर निर्माण, असंख्य लोगों की आस्था और भावनाओं से जुड़ा है। 1885 में महंत रघुबरदास जी ने फैजाबाद अदालत में श्री राम मंदिर निर्माण की इजाज़त माँगी थी। तब से यह मामला उच्च न्यायालय से होते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय में मई 2011 से लम्बित है। माननीय उच्चतम न्यायालय को इसमें जल्दी-जल्दी सुनवाई कर यथाशीघ्र निर्णय देना चाहिए था। परन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय ने जल्दी सुनवाई को टाल दिया। इससे लगता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय भी इसका निर्णय शीघ्र करना नहीं चाहता जिससे देश की जनता का सब्र का बाँध टूटता जा रहा है और आशाएं क्षीण होती दिखाई दे रही हैं। ऐसी स्थिति में देश की असंख्य जनता की जनभावनाओं का सम्मान करते हुए श्रद्धा और आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम मंदिर निर्माण शीघ्र-अतिशीघ्र कराना चाहिए।

मैं सरकार से करबद्ध निवेदन करता हूँ कि भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय में निर्णय में हो रही देरी के कारण सरकार को सदन में कोई कानून बनाकर रास्ता निकालना चाहिए या अध्यादेश लाकर असंख्य लोगों की जनभावनाओं का सम्मान करते हुए अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त किया जाए।

(xii) Need to establish another Institute of Automotive Research Association of India in Adityapur in Jamshedpur Parliamentary Constituency, Jharkhand

श्री विद्युत वरण महतो (जमशेदपुर): प्राचीन काल से ही हमारा देश व्यापार एवं व्यवसाय को प्राथमिक स्तर की वरीयता देने वाला रहा है। मध्ययुगीन काल से ही यदि हम भारतीय इतिहास को देखें तो वहाँ से भारत की स्थिति व्यापार एवं व्यवसाय में अव्वल रही है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार व्यापार सुगमता सूचकांक पर एक रिपोर्ट के मुताबिक उद्योग-व्यवसाय की दृष्टि से झारखण्ड पूरे भारत में तीसरे स्थान पर है। हमारे राज्य झारखण्ड में उद्योग-व्यवसाय लगाना और चलाना हमारी रघुबर दास जी की सरकार ने दूसरे राज्यों की अपेक्षा औद्योगिक पॉलिसी को सरल एवं बहुत ही आसान बनाया है। झारखण्ड राज्य में निवेशकों को प्रोत्साहन देने हेतु फरवरी माह में हमारी सरकार ने झारखण्ड मेमोंटम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जिसमें भारी संख्या में देश-विदेश के निवेशकों ने भाग लिया। आज झारखण्ड में माननीय रघुबर दास जी की अगुवाई में बहुत से उद्योग स्थापित हो रहे हैं। इससे झारखण्ड में रोज़गार के नये अवसर उपलब्ध हो रहे हैं और झारखण्ड इस तरह तेजी से बदल रहा है। हमारे राज्य में टाटा जैसे ऑटोमोबाइल उद्योग 109 वर्ष पहले मेरे संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर (झारखण्ड) में स्थापित हुआ है और आज देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस तरह उद्योग के कारण हमारे संसदीय क्षेत्र में हजारो एन्सलरीज ऑटोमोबाइल उद्योग खुल चुके हैं। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र झारखण्ड का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। जमशेदपुर ऑटोमोबाइल रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ए.आई.ए.आई.) जैसे संस्थान केवल एक ही जगह पुणे (महाराष्ट्र) में है। पूरे देश में एक ही संस्थान होने के कारण कहीं न कहीं ऑटोमोबाइल्स उद्योग को आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न हो रही है।

अतः माननीय मंत्री भारी उद्योग और लोक उद्यम से मांग करता हूँ कि हमारे संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर जिसे टाटा जैसे उद्योग बसने के कारण टाटानगर से जाना जाता है, के अंतर्गत आदित्यपुर में ऑटोमोबाइल्स रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ए.आर.आई.ए.) का संस्थान खोलने की कृपा की जाये जिससे पूर्वोत्तर राज्यों का तेज गति से विकास हो सके।

(xiii) Need to build Ram Mandir at Ayodhya, Uttar Pradesh

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): हमारा देश पहले मुगलो और फिर अंग्रेजों का गुलाम रहा है। इन विदेशी आक्रान्ताओं ने हमारी संस्कृति की विभिन्न पहचानों तथा शिक्षा केन्द्रों को नष्ट-भ्रष्ट करने का कुचक्र चलाया। आजादी के बाद स्वाभाविक रूप से यह अपेक्षा आमजन द्वारा की गयी कि हमारी आस्था के केन्द्रों को पुनः स्थापित किया जाये। इस क्रम में लंबे समय से देश का आमजन अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए संघर्षरत है। भगवान राम को इस देश में मर्यादा पुरूषोत्तम के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपने जीवन से समाज को मर्यादित जीवन जीने का रास्ता बताया। भगवान राम हमारे देश की पहचान होने के साथ-साथ अग्रणी महापुरूष है तथा करोड़ों लोगों की आस्था के केन्द्र हैं।

मैं सरकार से अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण हेतु मार्ग प्रशस्त करने का आग्रह करता हूँ। आवश्यक हो तो सरकार इसके लिए अध्यादेश भी लाये।

(xiv) Need to review new tariff rates for TV cable service

श्रीमती रक्षाताई खाडसे (रावेर): देश में कुल मिलाकर 2 से 2.5 करोड़ केबल ऑपरेटर केवल के माध्यम से टी.वी. चैनल का प्रसारण का काम कर रहे हैं। ट्राई ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन द्वारा प्रसारण और केबल टी.वी. के लिए नये टैरिफ रेट्स रूल्स तथा नियम जारी किये हैं। जो ग्राहक पुराने टैरिफ रेट्स से 200 से 300 रूपये के करीब-करीब सभी चैनल का आनंद ले रहे थे, उसी ग्राहक को वह चैनल पैकेज के लिए आज के नए टैरिफ रेट्स तथा नियम के हिसाब से 1000 रूपये खर्च करने पड़ सकते हैं। अभी तक केबल ऑपरेटर्स को ग्राहक से बड़ी मुश्किल से 200 से 300 रूपये राशि भुगतान जमा करने के लिए बहुत परेशानी झेलनी पड़ती थी, ग्रामीण क्षेत्र में तो केबल ऑपरेटर ज्यादा से ज्यादा 150 रूपये में सारे चैनल के लिए चार्ज कर रहे हैं। नये टैरिफ प्लान के हिसाब से शहरी लोगों को फ्री टू एयर चैनल के लिए 130 रूपये तथा अपनी पसंद के हर चैनल के लिए यह रेट 1000 रूपये तक हो सकता है और ग्रामीण तथा गांव से जुड़े लोगों को कम से कम 400 रूपये का भुगतान करना होगा, इस नए निर्धारित किये हुए टैरिफ रेट से लोगों को अपनी पसंद के चैनल देखने के लिए ज्यादा राशि का भुगतान करना पड़ेगा तथा बहुत से छोटे एवं मध्यम केबल ऑपरेटर को अपना प्रसारण बंद करना पड़ सकता है। जैसे ट्राई बता रही है कि यह निर्णय ग्राहक के हित में लिया गया है जब कि ग्राहक को अगर ज्यादा भुगतान करना होगा तो ग्राहक का हित कैसा? इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि सर्व सामान्य जनता के लिए सोचते हुए ट्राई से हाल ही में निर्धारित टैरिफ रेट तथा नियमावली नोटिफिकेशन का एक बार पुनर्निरीक्षण करें ताकि हर गरीब से गरीब भारतीय नागरिक इस नए तकनीकी तथा प्रसारण के दर्जेदार मनोरंजन माध्यम का लाभ उठा सके, पुराने टैरिफ के कुछ अच्छे प्रावधान जैसे डिजिटल अड्रेसेबल केबल

टी.वी. सिस्ट (डी.ए.एस.) जिसमें सरकार ने 4 चरण में रखा था बड़ा शहर, मध्यम शहर, छोटा शहर तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग-अलग टैरिफ रेट्स जारी किए थे, इसी तरह कोई पद्धति जिसमें शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग टैरिफ रेट का प्रावधान हो।

मैं यह भी निवेदन करती हूँ कि नए टैरिफ रेट में कुछ कंसोलिडेटेड बेसिक टैरिफ पैक की सुविधा हो जिससे ग्राहक अपना उचित पैक का चयन कर सकें।

(xv) Need to provide adequate funds for construction of Dhasa-Jetalsar new railway line project in Gujarat

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली): पिछले बजट सत्र में रेलवे लाईन के दोहरीकरण हेतु ढासा, खिजडिया, लुनिधार, जैतलसर लाइन के दोहरीकरण के लिए 402 करोड़ रूपए का बजट मंजूर हुआ है, जिसके कार्य संचालन हेतु दो हिस्सों में निविदाएँ हुई हैं। पहला- ढासा से लुनिधार जो 49.50 किलोमीटर है, के लिए 191 करोड़ रूपए का आवंटन हुआ। दूसरा, लुनिधार-जैतलसर जो 55 किलोमीटर का है, के लिए 181 करोड़ रूपए का आवंटन हुआ है। इन दोनों कार्य को शुरू करने के लिए 15 जून, 2016 को टेंडर हुआ था और इसका कार्य दो कंपनियों के माध्यम से किया जा रहा है। कार्य को पूर्ण करने का समय साढ़े तीन साल निर्धारित किया गया है। यह कार्य कोष की कमी के कारण अत्यंत ही धीमी गति से चल रहा है इसमें न तो अभी तक सर्वे का कार्य पूरा हुआ है और न ही अन्य कोई प्रक्रिया में आया है।

अतः मैं कहना चाहूंगा कि उपरोक्त कार्य को पूर्ण करने हेतु पर्याप्त कोष का आवंटन कर इस परियोजना को तेजी के साथ किया जाए जिससे यह अपने निर्धारित समय में पूर्ण हो सके ताकि वहाँ की जनता को समुचित लाभ मिल सके।

(xvi) Regarding setting up of a MSME Technology centre at Tumkur, Karnataka

SHRI S.P. MUDDAHANUME GOWDA (TUMKUR): Tumkur City in Karnataka has been declared Industrial Smart city in Chennai-Mumbai Industrial Corridor. As a result of which thousands of industries are coming up in Vasanthanarasapura Industrial Area which is adjacent to Tumkur city. Tumkur Machine Tool Park is being created there with the assistance of Government of India. Hence, Government of India is requested to saction one MSME Technology Centre at Tumkur in view of the creation of industrial corridor. Government of Karnataka has sactioned fifteen acres of prime land for this purpose, free of cost, near Tumkur city. But so far Government of India has not released any amount for setting up of MSME Technology Centre.

Hence, I urge Government of India to set up the MSME Technology centre at Tumkur immediately.

(xvii) Need to review decision to shut down the Central Potato Research station, Ooty in Tamil Nadu

SHRI C. GOPALAKRISHNAN (NILGIRIS): Potato is grown in hilly areas in States like Tamil Nadu and Karnataka. In Tamil Nadu, potatoes are mainly grown in hilly districts like Dindigul, the Nilgiris, Krishnagiri and Erode covering nearly 5,500 Hectares of land. It is understood from media reports that the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) has taken a decision to shut down the 'Central Potato Research Station' (CPRS), a well known Premier Institute functioning at Muthorai, Ooty in the Nilgiris District of Tamil Nadu. This Institute was founded in 1957 and has been serving the potato farmers for the past 70 years in coordination with the State Government as well as with the Tamil Nadu Agricultural University (TNAU). The Institute is well equipped with a hi-tech laboratory, seed production and multiplication facilities located in an area of 45 acres. This CPRS is the only station in the whole of South India researching on Potato cyst nematode and Potato early blight which are major diseases affecting potato cultivation and help the farmers to keep these maladies in check and grow the potato crop profitably. CPRS-Ooty released the India's first nematode resistant variety "KufriSwarna" in the year 1985 and this variety is still predominantly grown in many areas across the Nilgiris. This is one of the two Institutes where Potato farmers are getting disease free seeds. If this Research station is closed, farmers of Tamil Nadu and other southern states of India, will have to depend on the Potato Research Station at

Jalandhar, Punjab, which is located far away, to access disease free planting materials, which in turn will increase the cost of cultivation. Moreover, the varieties of North India are not suitable for Southern hills. In the above circumstances, the closure of the said Institute “CPRS” at Ooty will have detrimental impact on the interest of the Potato farmers of this State and entire South India. Hon’ble Chief Minister of Tamil Nadu has also written a letter to Hon. Prime Minister on 6 December 2018 in this regard. I, therefore, request the Union Government to direct the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare and the Indian Council of Agricultural Research not to close the CPRS, Ooty in order to safeguard the interests of the Potato farmers of this State as well as farmers of other southern States of our country.

(xviii) Regarding problems caused by sea erosion in Cuddalore Parliamentary Constituency, Tamil Nadu

SHRI A. ARUNMOZHITHEVAN (CUDDALORE): Due to sea erosion, the coastal areas and adjacent housing colonies of Cuddalore parliamentary constituency are very much affected. During Tsunami and Thane cyclone, seashore was eroded due to giant waves and landscape has been reduced. Many residential colonies in and around Cuddalore town and villages of this area have also been affected. The sea area is on the rise and the landscape has shrunken. This has led to changes in the map of the nation. Other than residential colonies, many governmental buildings have also been damaged due to fierce sea waves. I, therefore, urge the Government that check dams or brick walls should either be constructed or big stones be dumped to restrict the fierce flow of sea waves and erosion thereafter. I urge that the lives of people residing at the seashore in my Cuddalore constituency should be protected on war footing basis. I earnestly appeal to the Hon'ble Union Minister of Home Affairs through this august House that immediate steps should be taken to protect the livelihood of fishermen and others living at the seashore in my constituency, as these areas were prone to Tsunami and Thane cyclone. I also urge that the land area which is being eroded by sea waves should be protected for the well-being of the people.

(xix) Regarding maintenance of temples in Jagatsinghpur Parliamentary Constituency, Odisha

DR. KULMANI SAMAL (JAGATSINGHPUR): Three very old temples namely Jagannath temple at Bagoi, Raghunathjue temple at Gandakipur and the Mahima temple at Mangarajpur in the kujang Block of my Constituency Jagatsingpur in Odisha are in dilapidated condition. These temples are more than 500 years old. A lot of pilgrims visit these temples every day. These temples need immediate maintenance and rest shed for pilgrims. Similarly drainage system needs to be laid around these temples. I would like to urge the Central Ministry of Tourism and Culture to provide immediate central financial assistance for these purposes.

(xx) Need to undertake measures for the welfare of farmers of Buldhana district in Maharashtra

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा): देश में विशेषकर महाराष्ट्र राज्य के बुलढाणा जिले के किसानों की स्थिति बहुत ही चिंताजनक बनी हुई है। हालांकि, सरकार के द्वारा किसानों को देयनीय स्थिति से उबारने हेतु उनके ऋण माफी हेतु कारगर कदम उठाए हैं। लेकिन फिर भी उनकी स्थिति बहुत ही चिंताजनक है।

वर्तमान में कृषकों को कृषि उपज हेतु दिए गए ऋण को लौटाए जाने की समयावधि केवल 6 माह है, जो बहुत ही कम है। इस अवधि को कम से कम 1 वर्ष किए जाने तथा कृषि ऋण के लिए प्रतिवर्ष गारंटर की शर्त को हटाए जाने की भी नितांत आवश्यकता है।

आज देश के विशेषतः महाराष्ट्र राज्य के बुलढाणा जिले के कृषकों को उनकी उपज का सही मूल्य न मिलने और ऋण की अदायगी न देने के कारण वे बद्तर स्थिति में पहुँच गए हैं और सम्पूर्ण देश में किसानों द्वारा आए दिन आत्महत्या जैसे अमानवीय कदम उठाने की खबरें सुनकर दिल दहल जाता है।

अतः किसानों के हित में यह अति आवश्यक है कि जो किसान आत्महत्या करते हैं, उनका ऋण पूरी तरह से माफ किए जाने के साथ-साथ उनके परिवार के एक सदस्य को केन्द्रीय योजनाओं से जीविका की सुविधा प्रदान किए जाने अथवा ऐसे परिवारों के लिए केन्द्रीय स्तर पर किसी विशेष योजना को संचालित किया जाए ताकि पीड़ित किसान परिवार को राहत मिल सके।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि देश के विशेषतः महाराष्ट्र राज्य का बुलढाणा जिला, जो एक अत्यधिक पिछड़ा हुआ जिला है तथा जहाँ के किसान भुखमरी की स्थिति में पहुँच रहे हैं, के पीड़ित किसानों का व्यापक स्तर पर एक सर्वे कराकर उनको आर्थिक तंगी से उबारने हेतु सार्थक कदम उठाने का कष्ट करें।

मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि सरकार मेरे अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए किसानों के हित में समुचित निर्देश प्रदान करने का कष्ट करेंगी।

(xxi) Need to provide stoppage to 16305/16306 Intercity train at Pattambi, Kerala

SHRI M. B. RAJESH (PALAKKAD): I would like to draw the kind attention of the Government towards stoppage of Intercity train (16305/16306) in Pattambi station.

The stoppage of 16305/16306 ERS-CAN Intercity at Pattambi is a long pending demand of rail passengers. This train has a stoppage at Poonkunam and Thanur which are much smaller both in terms of number of passengers and revenue collection as compared to Pattambi. Another reason advanced for denying stoppage of the train at Pattambi is untenable. It is being maintained that the distance between Shoranur and Pattambi is not sufficient enough for stoppage. In this context, it may be pointed out that the distance between Shoranur and Pattambi is about 12 kms and the distance between Tirur and Tanur is 10 km and between Tanur and Parappanangadi 9.5 Kilometers, yet stoppages have been provided for the train at Tirur, Tanur and Parappanangadi. In this context, I hope Hon'ble Minister will understand the genuineness of my demand.

(xxii) Regarding lifting ban on 10 years old tractors

SHRI DUSHYANT CHAUTALA (HISAR): I would like to urge the government to provide compensation to farmers who have been affected due to the recent ban on 10 years old tractors which are being utilized for various agricultural activities. The National Green Tribunal has imposed ban on 10 years old tractors in NCR region. But, this ban creates severe hardship to farming community in the state of Haryana since out of 22 districts, 14 districts are covered in the NCR region. Farmers have already been facing a number of adversities like increase in the price of agricultural inputs, limited price for their produce, inadequate compensation for their crop insurance etc. At this juncture, the ban on 10 years old tractors would further burden their lives. Therefore, I urge the government to take necessary action for withdrawal of such ban on old tractors or provide compensation to farmers to purchase new tractors immediately.

(xxiii) Need to ensure return of thousands of Indian workers/labourers stranded in Riyadh, Saudi Arabia

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): सऊदी अरब के रियाद में भारत के करीब हजारों मजदूर एवं कामगार पिछले कई महीनों से रिफ्यूजी कैम्पों में बंधक बने हुए हैं। ऐसी रिपोर्ट टी.वी. चैनलों के द्वारा प्रसारित हुई है। यह भी सामने आया है कि वहां फंसे हुए सभी भारतीय बिहार, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब के हैं और सभी पिछले 15-18 वर्षों से वहां की एक कंस्ट्रक्शन कम्पनी में कार्यरत हैं। उनका वीजा समाप्त हो गया, पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। यह सब उस कम्पनी की आपसी परेशानी के कारण हुआ है। सभी भारतीय भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। वे बीमार हैं और वतन वापसी के लिए गुहार लगा रहे हैं। उनके पास खाने-पीने व वतन वापसी के लिए कुछ भी नहीं बचा है। उनके परिवार यहां माननीय मंत्री जी एवं सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं, किंतु सरकार द्वारा इस संबंध में अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूँ कि बिहार, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब के सभी मजदूर एवं कामगार जो वहां बंदी हैं और वतन वापसी चाहते हैं, उनको सरकार सभी प्रकार की राजनयिक सहायता पहुचाए और उन सभी की बकाया रकम को दिलवाकर उन्हें वापस वतन सुरक्षित लाये।

(xxiv) Regarding final notification for Ecologically Sensitive Areas of Western Ghats

ADV. JOICE GEORGE (IDUKKI): As per 13 November 2013 directions, Government had notified 4156 villages across the Western Ghats as Ecologically Sensitive Areas (ESA). Then on 10 March 2014, Government issued draft notification inviting comments from stakeholders and reissued the draft thrice on 4th September 2015, 28th February 2017 and 4th October, 2018 respectively. Even though, the Government is issuing draft notification, the delay in issuing final notification is creating lots of difficulties to the public in the notified ESAs. Several development projects including construction of medical college have been delayed due to non-issuance of Environmental Clearance. Hence, I urge upon the Government to issue final notification accepting the recommendation made by State of Kerala confining the ESA to reserve forest to an extent of 8656 Sq. Kms. at the earliest.

(xxv) Regarding completion of Kollam bypass

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): The National Highway authorities had executed an agreement for completion of Kollam Bypass on or before 25-11-2017. The work was not completed within the stipulated period. The contract period was extended up to 22-08-2018 and the amount of contract was increased from Rs. 277.24 crore to Rs. 352 crore. But the work was not completed within the extended period. The beautification work alone is pending. But the implementing authorities are not initiating action for completion of the work. The work is being delayed due to flimsy reasons. If the work is not completed immediately, it will result in huge loss to the Government. The traffic in Kollam City is heavy and early completion is highly necessary. Hence, I urge upon the Government to fix an early date for completion, commissioning and inauguration of Kollam Bypass and issue directions to the concerned authorities accordingly.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please go to your seats. I am sorry, this is not the way.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please give me one minute.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: आप सभी से रिक्वेस्ट है। मैंने पहले भी कहा था और आप भी जानते हैं कि यह सेशन एक महत्वपूर्ण सेशन है। इसके बाद तो वोट-ऑन-एकाउंट करके सबको चुनाव में जाना है। जो-जो बातें आप कहना चाहेंगे, वे महत्वपूर्ण हैं, यह मैं भी मानती हूं। But the Parliament is for discussion; the Parliament is for debate. I think, the Government is also ready to discuss any subject you want.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: But this is not the way. It is not giving a good message.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No doubt, we have to face the public. So, I am requesting you to cooperate.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: We can discuss it. But this is not the way. I am again and again requesting you, not to do that.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: मेरा निवेदन है, please go to your seats. Whatever discussion you want, वह रूल के अन्तर्गत हो। पार्लियामेंट रूल के अनुसार ही चलेगी, नहीं तो आप जानते हैं कि कुछ कड़े रूल्स फिर से बनाने पड़ेंगे।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I am sorry. मैं आज यह ओपेनली बोल रही हूं। कई बार बाहर के देशों के लोग भी बोलते हैं: "What is happening in India?"

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: कई बार मुझे मैसेज आते हैं कि मैडम, हमारा स्कूल अच्छा चलता है। आप ही समझिए कि हम क्या यह मैसेज देना चाहते हैं कि हम स्कूली बच्चों से भी गए-गुजरे हो गए हैं?

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I am sorry. हम जिम्मेदार लोग हैं। लाखों लोगों ने हमें चुनकर भेजा है। हम दस-दस लाख, पन्द्रह-पन्द्रह लाख वोट्स पाते हैं। हम थोड़ी-सी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। The Parliament is for discussion. आपको हम डिस्कशन के लिए एलाउ कर रहे हैं। मैं यह जिम्मेदारी लेती हूं कि मैं सरकार को कहूंगी कि आप इस विषय को डिस्कस करें। पर, प्लीज़, पार्लियामेंट में आप कहीं न कहीं एक स्टैण्डर्ड मेनटेन करें, यह हाथ जोड़ कर निवेदन है।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: So, please go to your seats and discuss the things, if you want to. I have no objection.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: खड़गे जी, अगर आप डिस्कशन मंजूर कर रहे हैं तो आप बोलिए। मैं जे.पी.सी. के लिए नहीं बोल रही हूं।

…(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): मैडम, मैं डिस्कशन की ही बात कर रहा हूं।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: खड़गे जी, एक मिनट । आपके लोग अपनी-अपनी सीट्स पर नहीं जाते हैं। मैंने जब-जब यहां एलाउ किया, मैंने कहा कि पहले सब लोग अपनी सीट्स पर जाएं। आप अपने लोगों को सीट्स पर जाने के लिए कहें। I will allow you. But at least, they should go to their seats.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I am allowing you but please go to your seats.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Not in this way; your Members should go back to their seats.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: आपके मेम्बर्स सीट्स पर जाएं। I am allowing you, Kharge*ji*. I am not saying 'No.' But first ask your Members to go to their seats.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: यह देखिए। ऐसे नहीं चल सकता । कम से कम आपके मेम्बर्स सीट्स पर जाएं।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: You are there. I will allow you.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: But these Members should go back to their seats.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please go to your seats.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: आपके मैम्बर्स अपनी सीट पर जाएं। मैं आपको अलाऊ कर रही हूं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: खड़गे जी, यह देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके मैम्बर्स कम से कम अपनी सीट पर जाएं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अगर आपके मैम्बर्स अपने सीट पर जाते हैं, तो मैं आपको अलाऊ कर रही हूं। प्लीज अपनी सीट पर जाइए।

12 16 hrs

At this stage Shri Sunil Kumar Jakhar and some other hon. Members went back to their seats.

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: हाँ, ठीक है।

…(व्यवधान)

12 16 ½ hrs

SUBMISSION BY MEMBER

Re: Constitution of Joint Parliamentary Committee on purchase of Rafale Fighter Jets

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : स्पीकर मैडम, देखिए हम डिस्क्शन के लिए सभी विषयों पर तैयार हैं और हम सभी बिल के ऊपर बोलना चाहते हैं।…(व्यवधान) लोकतंत्र में डिस्कशन से ही सब कुछ होता है…(व्यवधान) इसीलिए हम डिस्कशन चाहते हैं।…(व्यवधान) डेमोक्रेसी को चाहने वाले इतने लोग इस सदन में हैं।…(व्यवधान) प्राइम मिनिस्टर आ कर आज तक किसी के बारे में दो शब्द भी नहीं बोले हैं।…(व्यवधान) इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि पहले तो नो कॉन्फिडेंस मोशन में राफेल के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन हुआ है।…(व्यवधान) राफेल के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन हुआ है और हमने यह डिमांड की है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठाओ, उसमें सारी चीजें बाहर आएंगी…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: That is not in my purview.

… (*Interruptions*)

ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री, खान मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से खड़गे जी से आग्रह करना चाहता हूं।…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: JPC is not in my purview. I can allow a discussion.

… (*Interruptions*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: स्पीकर मैडम, जेपीसी के लिए हम डिस्कशन नहीं मांग रहे हैं। …(व्यवधान) हाउस को ठीक ढंग से चलाने के लिए आप जेपीसी मंजूर करो…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं नहीं मंजूर कर सकती ।

…(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: नहीं-नहीं...(व्यवधान) ताकि हर फाइल आएगी, कोर्ट ने क्या बोला है, वह सामने आएगा।...(व्यवधान) पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट क्या है, सीएजी की रिपोर्ट क्या है और किस-किस ने क्या कहा है, उसकी कीमत पहले क्या थी, बाद में उसकी कीमत क्या हो गई...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: We can discuss it. I understand that.

... (*Interruptions*)

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से विपक्ष को आग्रह करना चाहता हूं।...(व्यवधान) सरकार पूरी तरह हर विषय पर नियम-प्रक्रिया के अनुरूप चर्चा करने के लिए तैयार है।...(व्यवधान)

HON. SPEKAER: Let me see the Minister. This is not fair. उनके मुंह के सामने नहीं रखो।

...(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से विपक्ष को आग्रह करना चाहता हूं कि इन्होंने चर्चा के लिए नोटिस दिया है और विपक्ष के लोगों ने भी चर्चा की मांग की हैं।...(व्यवधान) सरकार पूरी तरह चर्चा के लिए तैयार है। जहां तक जेपीसी का सवाल है...(व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं कि जेपीसी का सवाल अब कहां है? राफेल पर जो चर्चा आई थी, उस समय कांग्रेस की लीडरशिप ने अपना वक्तव्य रखा था...(व्यवधान) लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध तथा पानी का पानी कर दिया।...(व्यवधान) सरकार का स्टैंड हर मामले में पूरी तरह से साफ है।...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इनको सदन चलाना चाहिए, हम चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार हैं।...(व्यवधान)

---

12 18 hrs

At this stage Kumari Sushmita Dev and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet on Wednesday, the 19th December, 2018 at 11.00 a.m.

12 19 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, December 19, 2018/Agrahayana 28, 1940 (Saka).